न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 30/2018
अपीलांट

माधाराम पुत्र रेखाजी जाति कलबी निवासी जुंजाणी तहसील भीनमाल जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. चतराराम पुत्र रेखाजी
2. हरसनराम पुत्र रेखाजी जातियान कलबी निवासी जुंजाणी तहसील भीनमाल जिला जालोर
3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार भीनमाल जिला जालोर
4. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा भीनमाल जिला जालोर

उपस्थित :–

1. श्री तेज सिंह बालावत अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टगण 01 व 02
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से
4. अनुपस्थित रेस्पोडेण्ट संख्या 04

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 8/12/21

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 14/2017 बउनवान चतराराम वगैरा बनाम माधाराम वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2018 के विरूध पेश की गयी। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा जुंजाणी तहसील भीनमाल के खसरा नंबर 1134 रकबा 2.9700 हैक्टर किस्म बारामी प्रथम के संबध में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेण्ट 01 व 02 का 1/3

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

हिस्सा तथा 2/3 हिस्सा अपीलाण्ट का बनता है एवं इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज व मौके पर हिस्से के अनुसार रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 व अपीलाण्ट के मध्य विभाजन हो रखा है एवं इसी अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे एवं वादपत्र के साथ परिष्टि अ बनाकर पेश किया एवं यह दर्शाया कि परिशिष्ट अ में हरे रंग से दर्शित भूमि उनके विभाजन में आयी है एवं इसी माफिक मौके पर विभाजन किया जावें। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 का वाद दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलाण्ट को नोटिस भिजवाया गया एवं उसके विरूद्व दिनांक 13.07.2017 को एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की गयी। दिनांक 03.10.2017 को अपीलाण्ट द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही अपास्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसी वक्त स्वीकार किया गया एवं अपीलाण्ट को वाद का जवाब पेश करने हेतु समय दिया गया उसके पश्चात पत्रावली अपीलाण्ट के जवाब हेतु रखी गयी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्यायालय आपके द्वार कैम्प जुंजाणी में निर्णय व डिक्री पारित की गयी जिसके विरूद्व अपीलाण्ट के द्वारा यह अपील प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2018 को अपास्त किये जाने हेतु एवं प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया। एवं अधीवक्ता अपीलाण्ट द्वारा बहस के दौरान यह तथ्य न्यायालय के समक्ष रखा गया कि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब का अवसर दिया गया था परन्तु उसके द्वारा जवाब पेश किये जाने से पहले ही उसे सुनवाई का अवसर न देते हुए गलत रूप से न्यायालय आपके द्वार कैम्प में उक्त निर्णय व डिक्री पारित की गयी है। लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण मात्र पक्षकारान की सहमति से किया जा सकता है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिवत सुनवाई किये निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 व 02 ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टस संख्या 01 व 02 द्वारा उक्त वाद विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया था एवं मौके पर पक्षकाराण के मध्य विभाजन भौतिक रूप से हो रखा है तथा अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है मात्र राजस्व रेकर्ड में नाम सामलात में दर्ज होने के कारण काश्त कर रहे है तथा भूमि को उन्नत करने में loan आदि लेने में असुविधा हो रही है अपीलाण्ट को सहमति से भूमि का विभाजन करने का कहा परन्तु अपीलाण्ट के द्वारा रेस्पोडेण्ट को उनके हिस्से के आराजी से जबरन बेदखल करने की धमकी दी एवं विभाजन करवाने से इंकार कर दिया जिस कारण रेस्पोडेण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमें अपीलाण्ट को नोटिस तामिल होने के पश्चात न्यायालय में हाजिर नही होने के कारण दिनांक 13.07.2017 को उसके विरूध एक तरफा कार्यवाही की गयी थी परन्तु दिनांक 03.10.2017 को उसके द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही अपास्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर न्यायालय द्वारा एक तरफरा कार्यवाही अपास्त करते हुए अपीलाण्ट को जवाब का अवसर प्रदान किया गया था परन्तु अपीलाण्ट द्वारा लम्बे समय तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में तहसीलदार भीनमाल द्वारा मौका निरक्षण प्राथमिक डिक्री की पालना में मौके निरिक्षण अपीलाण्ट को नोटिस दिया गया था परन्तु उसके द्वारा नोटिस नहीं लिया गया एवं नही मौके पर उपस्थित हुआ। तहसीलदार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर अपीलाण्ट द्वारा कोई आपति पेश नही की गयी। बंटवारा प्रस्ताव में भी रेस्पोडेन्टस व अपीलाण्ट के आराजी को रस्ते की सुविधा देते हुए प्रस्ताव तैयार किया गया जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गयी है एवं नही भुमि का बटवारा कम अथवा अधिक किया गया है राजस्व रेकर्ड के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित की गयी है अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा जुंजाणी तहसील भीनमाल के खसरा नंबर 1134 रकबा 2.9700 हैक्टर किस्म बारामी प्रथम के संबध में प्रस्तुत कर हक हिस्से अनुसार खातेदारी का विभाजन कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवाद सत्य है कि वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में 1/3 हिस्सा रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 का 2/3 हिस्सा अपीलाण्ट का बनता है जिसके संबंध में कोई विवाद नहीं है एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन करने से यह भी स्पष्ट होता है कि पहले अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्व बावजूद नोटिस तामिल उसके द्वारा न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही की गयी थी परन्तु उसके प्रार्थना पर उसे अपास्त भी किया गया था एवं जवाब का पूर्ण अवसर अपीलाण्ट को दिया गया था उसके पश्चात भी अपीलाण्ट द्वारा समयावधि के भीतर न तो जवाब प्रस्तुत किया गया एवं न ही प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के समय बावजूद नोटिस दिये जाने के उपस्थित हुआ एवं न ही उस पर कोई आपति प्रस्तुत की। उक्त प्रकरण में अपीलाण्ट के अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से इस तथ्य पर बल दिया है कि उक्त प्रकरण न्यायालय आपके द्वार कैम्प में निस्तारित किया गया है जिसके संबंध में न्यायालय का यह मत है कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर काश्तकारो के मध्य विवादो को शीघ्रता से निस्तारण किये जाने हेतु इस प्रकार के सिविर आयोजित किये जाते है जिससे काश्तकारो को सुलभ न्याय प्रदान हो सके उक्त प्रकरण में वाद मात्र विभाजन का था एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने पर यह साफ होता है कि पक्षकारान को रास्ते की सुविधा उपलब्ध करवाते हुए विभाजन के नियम की पालना करते हुए समान रूप से पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार किए गये एवं उसी माफिक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित की जिसमें किसी पक्ष को कम अथवा अधिक भुमि नहीं दी गयी है एवं विभाजन के नियमों की पूर्ण पालना की गयी है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री हाजा न्यायालय की राय में उचित पारित किया जाना प्रतीत होता है

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज की जाती है। सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 14/2017 बउनवान चतराराम वगैरा बनाम माधाराम वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2018 को यथावत रखा जाता है निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालयो का रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

निर्णय आज दिनांक 8/12/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली